

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823

क्रमांक एफ2() वन संरक्षण / उवसं / 2022-23 / 4090

दिनांक : 24/4/23

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषय: — Submission of document for seeking prior approval of forest case proposal No. FP/RJ/ROAD/29812/2017 in respect Construction Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12.

प्रसंग:- अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 5460-61 दिनांक 29.03.2023 एवं प्रयोक्ता एजेन्सी का पत्र क्रमांक 18 दिनांक 17.04.2023 एवं 31 दिनांक 21.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्तावित Construction Laxmipura- Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12 District bundi में अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर की विन्दुवार पालना निम्न प्रकार है, जो आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

| क्रं0सं0 | आक्षेप | पालना |
|----------|---|--|
| 1 | प्रस्ताव में संलग्न के0एम0एल0 फाइल, जी0टी0 शीट मेप तथा डीजीपीएस मेप में आर0वी0टी0आर0 के बफर क्षेत्र में पडने वाले वनभूमि एवं गैर वन भूमि को अंकित किया जावे। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि के0एम0एल0 फाइल, जी0टी0 शीट मेप तथा डीजीपीएस मेप में आर0वी0टी0आर0 के बफर क्षेत्र में पडने वाले वनभूमि एवं गैर वन भूमि को अंकित कर दिया गया है। जी0टी0 शीट मेप तथा डीजीपीएस मेप संलग्न है। |
| 2 | लागत लाभ विश्लेषण नवीन एन0पी0वी0 की दर एवं प्रस्ताव के वन्यजीव क्षेत्र में पडने से आये बदलाव के अनुसार प्रस्तुत करे। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित लागत लाभ विश्लेषण अपलोड कर दिया गया है। जो संलग्न है। (Annex-1) |
| 3 | पार्ट-1 के विन्दू संख्या आई में वन्यजीव स्वीकृति के संबंध में आवश्यक संशोधन किये जावे। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उनके प्रासांगिक पत्र से पार्ट-1 के विन्दू संख्या आई में वन्यजीव स्वीकृति के संबंध में आवश्यक संशोधन किया गया है। पार्ट-1 संलग्न है। (Annex-2) |
| 4 | वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार प्रस्ताव में पडने वाले वन/गैर वन भूमि की संशोधित एरिया केलकुलेशन शीट संलग्न की जानी है। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उनके प्रासांगिक पत्र से वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार प्रस्ताव में पडने वाले वन/गैर वन भूमि की एरिया केलकुलेशन शीट संशोधित कर दी गई है। संलग्न है। (Annex-3) |
| 5 | पार्ट-1 के विन्दू संख्या 8 में वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार सूचना भरी जानी प्रस्तावित है। | पार्ट-1 के विन्दू संख्या 8 में वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार संशोधन कर दिया गया है। पार्ट-1 संलग्न है। (Annex-4) |
| 6 | वन्यजीव क्षेत्र में आने के कारण एन0पी0वी0 गणना संशोधित कर प्रस्तुत की जानी है। | संशोधित एन.पी.वी. गणना संलग्न है। (Annex-5) |
| 7 | उप वन संरक्षक बून्दी एवं मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा अपने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन्यजीव क्षेत्र के अनुसार रिपोर्ट नहीं दी गई है। अतः उप वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक पुनः स्थल निरीक्षण किया जाकर अद्यतन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना है। | अद्योहरताक्षरकर्ता की प्रस्तावित क्षेत्र की पुनः स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (Annex-6) |
| 8 | आर0वी0टी0आर0 के नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। | R.V.T.R के बफर क्षेत्र के नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है। (Annex-7) |

भवदीय

(डॉ. टी. मोहन राज)

उप वन संरक्षक

बून्दी

क्रमांक एफ2() वन संरक्षण / उवसं / 2022-23 / 4090-91

दिनांक : 24/4/23

- प्रतिलिपि अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज0 जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- प्रतिलिपि परियोजना निदेशक पीपीपी पीडब्ल्यूडी कोटा को सूचनार्थ प्रेषित।

Signature valid

Digitally signed by T. Mohan Raj
Designation: Deputy Conservator
Of Forest

Date: 2023.04.24 17:49:36 IST

Reason: Approved

